



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

आषाढ 8, शुक्रवार, शाके 1934-जून 29, 2012

Asadha 8, Friday, Saka 1934-June 29, 2012

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग-1)

अधिसूचना

जयपुर, जून 27, 2012

संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008:- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 समय-समय पर यथा संशोधित, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सेवाओं व उनको प्रदान करने की नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित किये गये थे, में नई सेवाएं जोड़े जाने व उनके संबंध में समयावधि नियत करने, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता हेतु सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम में संख्या 17 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नयी क्रम संख्या 18 एवं उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जावेंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	113	राजस्थान मूल के विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को राजस्थान सरकार के निर्देश/अनुमोदन अनुसार देय निःशुल्क/रियायती यात्रा सुविधाओं के लिए परिचय पत्र जारी करने एवं उनका नवीनीकरण करने (i) पत्रकार	3 दिन (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	कार्यकारी प्रबंधक (जन-सम्पर्क)	संबंधित लिपिक	उप महा प्रबंधक (प्रशासन)	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)	1. उक्त सभी निःशुल्क रियायती यात्राएँ राजस्थान राज्य के निवासियों को ही देय है। अतः राजस्थान राज्य में निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। 2. वांछित प्रपत्रों के साथ दो पासपोर्ट साईज की फोटो प्रस्तुत किया जाना एवं निर्धारित फीस निगम कोष में जमा की जानी अपेक्षित है। डी.पी.आर से जारी परिचय पत्र के आधार पर अधिकृत पत्रकार को निगम मुख्यालय से

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									परिचय पत्र जारी किया जावेगा तथा जिला जन सम्पर्क अधिकारी के प्रमाणिकरण पर
									परिचय पत्र का नवीनीकरण व यात्रा कूपन आगार स्तर से जारी किये जाने की व्यवस्था।
		(ii) स्वतन्त्रता सैनानी	3 दिन (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबंधक	संबंधित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)		राजस्थान सरकार से स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्तकर्ता स्वतंत्रता सैनानी को जारी पेंशन आदेश के आधार पर निगम से परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
		(iii) स्वतन्त्रता सैनानी की विधवा	3 दिन (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबंधक	संबंधित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)		राजस्थान सरकार से स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्तकर्ता स्वतंत्रता सैनानी की विधवा को जारी पेंशन आदेश के आधार पर निगम से परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
		(iv) युद्ध में शहीदों की विधवार्यें एवं उन पर आश्रित अवयस्क संतानें	3 दिन (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबंधक	संबंधित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)		शहीद सैनिक के संबंध में जिला सैनिक कल्याण विभाग द्वारा जारी पेंशन पत्रादि के आधार पर निगम द्वारा परिचय जारी किये जाने की व्यवस्था।
		(v) राज्य की अनुसूचित जाति एवं आदिवासी क्षेत्र की कक्षा 8 तक पढ़ने वाली आदिवासी बालिकार्यें	3 दिन (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबंधक	संबंधित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)		विद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर निगम कार्यालय द्वारा शिड्यूल iii/ परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(vi) पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति	3 दिन (संबंधित)	कार्यकारी प्रबंधक	संबंधित लिपिक	उप महा प्रबंधक (प्रशासन)	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)	महामहिम राष्ट्रपति महो. द्वारा जारी
				दस्तावेज संलग्न करने पर)	(जन सम्पर्क)				पद्म पुरस्कार के प्रमाण पत्र के आधार पर जन सम्पर्क शाखा मुख्या. जयपुर में प्रस्तुत करने पर परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
			(vii) नेत्रहीन/अंधता	3 दिन (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबंधक	संबंधित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	नेत्रहीनता/अंधता के विशेषज्ञ चिकित्सक का प्रमाण पत्र व आयकर दाता नहीं होने का पत्र प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
			(viii) विकलांग (अस्थि)/चलन निःशक्तता	3 दिन (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबंधक	संबंधित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	विकलांग (अस्थि)/ चलन निःशक्तता के विशेषज्ञ चिकित्सक का प्रमाण पत्र व आयकर दाता नहीं होने का पत्र प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
			(ix) श्रवण बाधित	3 दिन (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबंधक	संबंधित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	श्रवण बाधित निःशक्तता के विशेषज्ञ चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
			(x) मानसिक विमन्दिता/मंदता	3 दिन (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबंधक	संबंधित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	मानसिक विमन्दिता /मंदता की निःशक्तता के विशेषज्ञ चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(xi) कम दृष्टि निःशक्तता	3 दिन (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबंधक	संबंधित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	कम दृष्टि निःशक्तता के विशेषज्ञ चिकित्सक का प्रमाण पत्र व आयकर दाता नहीं होने का पत्र प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
			(xii) मानसिक रूग्णता	3 दिन (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबंधक	संबंधित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	मानसिक रूग्णता के विशेषज्ञ चिकित्सक का प्रमाण पत्र व आयकर दाता नहीं होने का पत्र प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
			(xiii) कुष्ठ रोग	3 दिन (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबंधक	संबंधित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	कुष्ठ रोग मुक्त के विशेषज्ञ चिकित्सक का प्रमाण पत्र व आयकर दाता नहीं होने का पत्र प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
			(xiv) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धा में राज्य के पदक विजेता	3 दिन (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	कार्यकारी प्रबंधक (जन-सम्पर्क)	संबंधित लिपिक	उप महा प्रबंधक (प्रशासन)	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)	खेल स्पर्धा का मूल प्रमाण पत्र/ खेल विभाग के प्रमाणिकरण के प्रपत्र जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर, जारी परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
			(xv) राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री एवं पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति	3 दिन (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	कार्यकारी प्रबंधक (जन-सम्पर्क)	संबंधित लिपिक	उप महा प्रबंधक (प्रशासन)	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)	राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री एवं पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री अवार्ड के प्रपत्र जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर, परिचय पत्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									जारी किये जाने की व्यवस्था।
		(xvi) विधार्थी	3 दिन (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबंधक	संबंधित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)		राजकीय अथवा शिक्षा विभाग/ विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत का प्रमाण व विद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर, निगम कार्यालय द्वारा शिड्यूल iii/परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
		(xvii) राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक	3 दिन (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबंधक	संबंधित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)		राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक का प्रमाण पत्र व आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी सूची में नाम अंकित होने के आधार पर, निगम कार्यालय द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
		(xviii) वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष व अधिक आयु)	3 दिन (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबंधक	संबंधित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)		आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होने के प्रमाणित पत्र (फोटोयुक्त) प्रस्तुत करने पर उसके आधार पर निगम कार्यालय द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।

राज्यपाल के आदेश से,

आर.पी.जैन
प्रमुख शासन सचिव